

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक:-प.2(7096)/डीओआईटी/संस्था/16/04053/2019

जयपुर, दिनांक: 18.09.2019

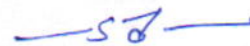
कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के सूचना सहायक श्रीमती माधुरी मिमाणी, जिन्होंने दिनांक 01.01.2016 के पश्चात अपने पद पर दो वर्ष की परीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है। वित्त (नियम अनुभाग) के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में निम्नलिखित सूचना सहायक का कॉलम सं. 7 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की नियमित वेतन श्रेखला पी.बी 1 (5200-20200) की ग्रेड पे-2800 (ग्रेड पे सं.-10) का शिड्यूल-1 (Part-B) की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेवल का न्यूनतम (First cell) की राशि रुपये 26300/- एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं.	मेरिट नं.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण एवं स्थाईकरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	W-1283	श्रीमती माधुरी मिमाणी	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.-1, श्रीगंगानगर	02.06.2016 (मध्याह्न पश्चात)	05.10.2018	06.10.2018 (श्रीमती माधुरी मिमाणी द्वारा 125 दिवस का अवैतनिक अवकाश अधिक लेने पर उनके परीक्षाकाल में 125 दिवस की अतिवृद्धि की गयी, जो दिनांक 05.10.2018 को पूर्ण हुई)

उक्त सूचना सहायक का वेतन आहरण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के तहत किया जावेगा एवं स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 के अनुसार उक्त सूचना सहायक की आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.19 होगी।

आज्ञा से,


(बी.एस. नाथावत)
तकनीकी निदेशक एवं
पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.-1, श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती माधुरी मिमाणी, सूचना सहायक, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.-1, श्रीगंगानगर।
3. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।


प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)